प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 349/2022 दिनांक – 7/9/2022

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

(ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 122 समय – 3:15 P.M.

ब. अपराध के घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक – 06.09.2022 समय – 11.55 ए.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 02.09.2022 समय – 07.30 ए.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 140 किलोमीटर लगभग

(ब) पता:–कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर .....

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्रीमती बृजेश मीणा (ब) पिता/पति का नाम – श्री लोकेश कुमार मीणा

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 32 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – अध्यापिका (र) पता – ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्रीमती खुशबू गहलोत पुत्री श्री श्यामलाल गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी श्याम कुटीर चामू हाउस के पीछे कृषि मण्डी जोधपुर हाल प्लॉट नम्बर बी–16, शिवनगर 3rd निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर हाल तृतीय श्रेणी अध्यापिका कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका, राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर।
2. श्री चन्द्रकान्त रामावत पुत्र श्री बद्री दास रामावत जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी पोस्ट नारलाई वाया देसूरी जिला पाली हाल सरकारी उच्च प्राथमिक विधालय के पास, रामदेव कॉलोनी जालोर हाल सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी जालोर अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 3,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करनें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं बृजेश मीणा पत्नी लोकेश कुमार मीणा उम्र 32 साल पैशा अध्यापक निवासी ग्राम खेडेला तहसील सपोटरा जिला करोली हाल निवासी भादराजून तहसील आहोर जिला जालोर हाल अध्यापिका कस्तुरबा गांधी आवासीय विधालय रामा आहोर में कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैं कस्तुरबा गांधी आवासीय विधालय उम्मेदाबाद में पदस्थापित थी जहां पर स्कुल हैड मास्टर श्रीमती खुशबु ने मेरे विरूद्ध एक झुठी शिकायत शिक्षा विभाग में की, जिस शिकायत की जांच एक कमेटी द्वारा की गयी एवं जांच रिपोर्ट चन्द्रकांत रामावत सहायक परियोजना अधिकारी को सुर्पूद कर दी गयी। वर्तमान में सहायक परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत व कस्तुरबा आवासीय विधालय उम्मेदाबाद की हैड मास्टर श्रीमती खुशबु दोनो मिलकर मेरी झुठी शिकायत का निस्तारण करने की एवज में मुझसे 3000/– रूपये रिश्वत राशि मांग कर रहे हैं एवं रिश्वत नहीं देने पर जांच रिपोर्ट को मेरे विरूद्ध नकारात्मक करने की धमकी दे रहे है। श्रीमान मैं मेरे विरूद्ध की गयी झुठी शिकायत के निस्तारण के एवज में 3000/– रूपये रिश्वत की राशि स्कुल हैड मास्टर श्रीमती खुशबु व सहायक परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत को नहीं देना चाहती हूं बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहती हूँ। मेरी कस्तुरबा आवासीय विधालय उम्मेदाबाद की हैड मास्टर श्रीमती खुशबु व सहायक परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत सें कोई व्यक्तिगत दुंश्मनी नही हैं, ना ही कोई लेन देन बकाया है।

अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें मै प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांकः– 02.09.2022

भवदीय,

एसडी
बृजेश मीणा
पत्नी लोकेश कुमार मीणा हाल निवासी
भादराजून तहसील आहोर जिला जालोर
हाल अध्यापिका कस्तुरबा गांधी आवासीय
विधालय रामा आहोर
मोबाईल नम्बर 9950712871, 7357524717

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 02/9/22 समय 7.30 ए.एम.

इस समय परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा पत्नि श्री लोकेश कुमार मीणा, उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के साथ कार्यालय हाजा उपस्थित आयी। उक्त रिपोर्ट के मजमून से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

एसडी (अजय गहलोत) 6/09/2022	एसडी (राकेश कुमार) 6/09/2022	एसडी (बृजेश मीणा) 2/9/22	एसडी (डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित) अति. पुलिस अधीक्षक 2/9/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 02.09.2022 समय 07.30 ए.एम.

इस समय परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा पत्नी लोकेश कुमार मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करोली हाल निवासी भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर हाल अध्यापिका कस्तुरबा गांधी आवासीय विधालय रामा पंचायत समिति आहोर जिला जालोर ने अपने पति श्री लोकेश कुमार मीणा के साथ कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मैं ब्रजेश मीणा पत्नी लोकेश कुमार मीणा उम्र 32 साल पैशा अध्यापक निवासी ग्राम खेडेला तहसील सपोटरा जिला करोली हाल निवासी भादराजून तहसील आहोर जिला जालोर हाल अध्यापिका कस्तुरबा गांधी आवासीय विधालय रामा आहोर में कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैं कस्तुरबा गांधी आवासीय विधालय उम्मेदाबाद में पदस्थापित थी जहां पर स्कुल हैड मास्टर श्रीमती खुशबु ने मेरे विरूद्ध एक झुठी शिकायत शिक्षा विभाग में की, जिस शिकायत की जांच एक कमेटी द्वारा की गयी एवं जांच रिपोर्ट चन्द्रकांत रामावत सहायक परियोजना अधिकारी को सुर्पूद कर दी गयी। वर्तमान में सहायक परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत व कस्तुरबा आवासीय विधालय उम्मेदाबाद की हैड मास्टर श्रीमती खुशबु दोनो मिलकर मेरी झुठी शिकायत का निस्तारण करने की एवज में मुझसे 3000/– रूपये रिश्वत राशि मांग कर रहे हैं एवं रिश्वत नहीं देने पर जांच रिपोर्ट को मेरे विरूद्ध नकारात्मक करने की धमकी दे रहे है। श्रीमान मैं मेरे विरूद्ध की गयी झुठी शिकायत के निस्तारण के एवज में 3000/– रूपये रिश्वत की राशि स्कुल हैड मास्टर श्रीमती खुशबु व सहायक परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत को नहीं देना चाहती हूं बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहती हूँ। मेरी कस्तुरबा आवासीय विधालय उम्मेदाबाद की हैड मास्टर श्रीमती खुशबु व सहायक परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत सें कोई व्यक्तिगत दुंश्मनी नही हैं, ना ही कोई लेन देन बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें मै प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है। " परिवादीया की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री मेघराज हेड. कानि. 63 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादीया श्रीमती ब्रजेश मीणा को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 08.30 ए.एम. पर कार्यालय के श्री मेघराज हेड. कानि. 63 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री मेघराज हेड. कानि. 63 व परिवादीया श्रीमती ब्रजेश मीणा का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री मेघराज हेड. कानि. 63 को सुपर्द कर परिवादीया श्रीमती ब्रजेश मीणा तथा आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तुरबा आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर, सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी श्री चन्द्रकांत रामावत के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादीया श्रीमती ब्रजेश मीणा मय उसके पति श्री लोकेश कुमार मीणा को एवं श्री मेघराज हेड. कानि. 63 को परिवादीया की निजी कार से जिला जालौर के लिए कार्यालय से रवाना किया गया।

वक्त 02.28 पी.एम. पर श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 ने अपने मोबाईल नम्बर 9664402455 से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9460453110 पर कॉल कर बताया कि मै व परिवादीया श्रीमती बृजेंश मीणा जालोर पहुचें। जहां पर परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा व आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर एवं श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय जालोर में हो चुका है। साथ ही मेघराज हैड कानि. नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों बताया कि परिवादीया को आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर नें जल्दी ही रिश्वत राशि देनें की बात भी कही है। जिस पर श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें निर्देशित किया गया कि परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 06.09.2022 कों समय 07 ए. एम. पर कार्यालय में उपस्थित आ जाये। साथ ही मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को निर्देशित किया गया कि आप डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने अभिरक्षा में रख कर कार्यालय हाजा उपस्थित आ जाये।

वक्त 05.40 पी.एम. पर श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि "मैं व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा आज सुबह समय 08.30 ए.एम. पर परिवादिया के निजी वाहन से परिवादीया के पति श्री लोकेश मीणा के साथ रवाना होकर समय 01 पी.एम. पर जालोर में अतिरिक्त परियोजना समन्वय जालोर के कार्यालय के पास पहुंचे। जहां पर मेरे द्वारा परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा कों डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करके आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर व श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करनें के लिए रवाना किया गया और मै गोपनीय रूप सें आसपास ही परिवादीया के आनें के इन्तजार में मुकीम रहा। समय करीब 02.25 पी.एम. पर परिवादिया मेरे पास वापिस आई और मुझे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया। जिससे मैने स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। परिवादिया नें मुझे बताया कि मेरी श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद व श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त्त परियोजना समवन्वय से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। मुझे श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद नें 3000 रूपयें रिश्वत राशि जल्दी ही देनें के लिए कहा है। इसके बाद मेरे द्वारा श्रीमान सें जरिये दूरभाष वार्ता कर हालात निवेदन किये गये थे। उसके बाद आपके निर्देशानुसार परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा के साथ जालौर सें रवाना होकर निजी वाहन से भाद्राजून पहुचें, जहां पर परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा को रिश्वत राशि 3000 रूपयें की व्यवस्था कर दिनांक 06.09.2022 को कार्यालय हाजा में 7.00 ए. एम. पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर कार्यालय में उपस्थित आया हूं। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर व श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालोर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 3000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा।

दिनांक 05.09.2022 समय 06.12 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास ब्यूरो शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से एवम अन्य गोपनीय कार्यवाही मे व्यस्त होने से सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन कर उक्त कार्यवाही में ट्रेप टीम को लीड करने हेतु ब्यूरो की शहर चौकी से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक, श्री छैलाराम गहलोत कानि. नम्बर 46 व श्रीमती सीता महिला कानि. नम्बर 172 को कल दिनांक 06.09.2022 को समय 7.00 ए.एम. पर इस कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत जरिये टेलिफोन दी गई तथा समस्त कार्यालय स्टाफ को कल दिनांक 06.09.2022 को समय 7.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

समय 07.05 पी.एम. पर दिनांक 06.09.2022 को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर श्री अर्जुनसिह कानि. 319 को कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1546 दिनांक 05.09.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 06.09.2022 को 7.00 ए.एम पर उपलब्ध करवाने हेतु जरिये वाटसटप सहायक अभियन्ता श्री ए.के. सिंह के मोबाईल नम्बर 9413359118 से प्रेषित किया गया। तथा जरिये मोबाईल भी गवाह भिजवानें हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 06.09.2022 समय 07.35 ए.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस जोधपुर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशनुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा मय अपनें पति श्री लोकेश मीणा के निजी वाहन सें मय 3000 रूपयें रिश्वत राशि के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव का परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा से परिचय करवाया एवं परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर व श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वय जिला जालोर के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है, को पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव सुपुर्द किये गये। साथ ही परिवादी नें बताया कि दिनांक 02.09.2022 को श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालोर द्वारा अपनें हस्ताक्षर सें जारी सेवा सन्तुष्ठि प्रमाण पत्र व विभागीय आरोप पत्र की प्रतियां मुझे दी गई और बताया

कि आप किसी को यह बताना नही है। जिस पर उक्त दोनों पत्रों को परिवादी से हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट किया गया। तथा कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आने पर पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय राजकार्य में व्यस्त हुआ।

समय 07.40 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से पूर्व में पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए। जिनको मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान ने बारी बारी से अपना परिचय श्री अजय गहलोत पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह गहलोत जाति माली उम्र 27 साल निवासी 3 पी–44, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 7597313425 तथा श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 39 साल निवासी माधव नगर, मोडा बालाजी रोड वार्ड नम्बर 02 दौसा हाल तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9929345950 होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादीया का आपसी परिचय करवाया गया। मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर व श्रीचन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालोर के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को सुना गया, जिसमें आरोपीय श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर द्वारा परिवादिया सें 3000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है। मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादीया की टाईपशुदा रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 02.09.2022 को परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत हैड मास्टर व श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

समय 08.00 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा पत्नि श्री लोकेश कुमार मीणा जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 06 नोट कुल राशि 3,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा प्रस्तुत नोटों श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 3000 रूपये के नोटो पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा की जामा तलाशी ब्यूरों स्टाफ श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 7357524717 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 3000 रूपये जो श्रीमती खुशबू हैडमास्टर कस्तूरबा आवासीय विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा के पास उसके पर्स में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पर्स में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में

साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। फर्द पेशकसी पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।

समय 08.30 ए.एम. पर परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 5,000 रूपये अपने पास रखे।

समय 08.35 ए.एम पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्रीमती मधुमती हैड कानि. 89, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्रीमती सीता महिला कानि. नम्बर 172, मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री खमाराम कानि. चालक मय परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा मय उनके पति श्री लोकेश मीणा को परिवादी की निजी कार से साथ–साथ ही कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से उम्मेदाबाद जिला जालौर के लिए रवाना हुए।

समय 12.01 पी.एम पर हालात इस प्रकार से है कि वक्त 08.35 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्रीमती सीता महिला कानि. नं. 172, श्री छैलाराम कानि. नं. 141 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री खम्माराम नम्बर 356 के ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा मय उनके पति श्री लोकेश कुमार मीणा मय निजी वाहन सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से रवाना होकर वक्त 10.45 ए.एम. पर ग्राम उम्मेदाबाद से 08 किलोमीटर पहले आरोपिया की लोकेशन हेतु परिवादिया के मोबाईल नम्बर 6377105041 से आरोपिया श्रीमती खुशबूके मोबाईल नम्बरं 7976762681 पर कॉल करवाया गया तों आरोपिया का फोन व्यस्त आया। जिस पर कुछ समय बाद ही वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा के मोबाईल नम्बर 6377105041 पर आरोपिया श्रीमती खुशबू के मोबाईल नम्बरं 7976762681 से कॉल आया। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कानि. श्री प्रकाश से ऑन करवाकर उक्त वार्ता कों परिवादिया के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर रिकॉर्ड करवाई गई तों आरोपिया श्रीमती खुशबू गहलोत नें परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा को कहा कि आप स्कूल ही आ जाओं मैं स्कूल में ही हूं। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन व निजी वाहन से रवाना होकर वक्त 11.20 ए.एम. पर ग्राम उम्मेदाबाद के बाहर पहुंचे।

समय 11.22 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री प्रकाश से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा को सुपर्द किया जाकर समय करीब 11.25 ए.एम. पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद के बाहर परिवादिया को उसके निजी वाहन से उतारकर रिश्वति राशि

लेन देन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद के पास कुछ दूरी पर छोडा गया और परिवादिया के पीछे–पीछे श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 व श्रीमती सीता महिला कानि. 172 को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के आसपास खडा किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों वाहन सरकारी व परिवादी के निजी वाहन सहित उम्मेदाबाद गांव में रिश्वत राशि लेन देन के गोपनीय ईशारें के इन्तजार में मुकीम हुए।

वक्त 11.55 ए.एम पर परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनें मोबाईल नम्बर 6377105041 सें मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9530292476 पर मिस कॉल किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 व श्रीमती सीता महिला कानि. नम्बर 172 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों स्टाफ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद में सरकारी वाहन व निजी वाहन को विद्यालय के बाहर खडा करवाकर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद में प्रवेश हुए।

मन् निरीक्षक पुलिस मय श्रीमती मधुमति हैड कानि. व श्रीमती सीता महिला कानि. के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद की प्रधानाध्यापिका के कार्यालय कक्ष में प्रवेश हुए तों परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा एक महिला के सामनें वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनें पास सुरक्षित रखा। आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी।

रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के समक्ष परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा नें मन् निरीक्षक पुलिस को ईशारा कर बताया कि मेरे सामनें कुर्सी पर बैठी महिला श्रीमती खुशबू गहलोत कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका है, जिसनें मेरे से अभी–अभी मेरे विरूद्व शिकायत का निस्तारण करवानें की एवज में 3000 रूपयें प्राप्त कर अपनें टेबल पर रखें पर्स में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आनें का मन्तव्य सें अवगत करवाया जाकर उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्रीमती खुशबू गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी प्लॉट नम्बर बी–16, शिव नगर 3rd निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर हाल कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर होना बताया जिस पर श्रीमती खुशबू गहलोत सें अभी अभी परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा सें 3000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त करनें के सम्बन्ध में पूछनें पर बताया कि मैनें अभी–अभी श्रीमती बृजेश मीणा से उसके विरूद्व शिकायत का निस्तारण करनें के लिए 3000 रूपयें प्राप्त कर अपनें पर्स में रखे है तथा यह रिश्वत राशि मैनें श्री चन्द्रकात रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालौर के लिए ली है। मेरा इस रिश्वत राशि में कोई हिस्सा नही है। मै मेरे मोबाईल से रिश्वत राशि लेनें के सम्बन्ध में श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालौर से बात कर सकती हू जिस पर समय 12.03 पी.एम. पर आरोपीया के मोबाईल से सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत के मोबाईल नम्बर 9461632674 पर आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के मोबाईल नम्बर 7976762681 पर कॉल करवाकर आरोपीया के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। जिसमें श्री चन्द्रकान्त रामावत नें श्रीमती बृजेश मीणा से 3000 रूपयें प्राप्त करनें के सम्बन्ध में श्रीमती खुशबू गहलोत को अपनी सहमति दी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री चन्द्रकान्त रामावत की रिश्वत राशि में भूमिका होनें पर डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एसीबी टीम जालौर से दस्तायाब करवानें हेतु निवेदन किया गया।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी प्लॉट नम्बर बी–16, शिव नगर 3rd निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में कस्तूरबा गांधी स्कूल में नल में से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर

प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के पर्स को चैक करवानें हेतु दिया गया। जिस पर आरोपीया के पर्स अन्दर की जेब में 500–500 रूपयें के नोट होना पाये गये। जिसकों गवाह श्री अजय गहलोत सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री राकेश मीणा सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500–500 रूपयें के 06 नोट कुल 3,000/– रूपये होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 UF 638592
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 EU 810949
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BM 466136
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 MP 840920
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 LW 916835
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 KV 915315

उक्त भारतीय मुद्रा 3,000/–को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के पास उनका एक मोबाईल उनके पास मिला। उक्त मोबाईल वीवों कम्पनी का मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 860301052083392 2. 860301052083384 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 7976762681 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया।

तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थान आरोपीया के पर्स की अन्दर की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण उक्त पर्स के अन्दर की जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में विद्यालय में नल से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की गिलास को पानी से आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के पर्स के अन्दर की जेब को उल्टा करवाकर जेब का धोवन उक्त तैयार घोल के गिलास में डूबोकर लिया गया तों धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग कों गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त पर्स जिस पर लाल पीलें व काले रंगे के फूल बनें हुए है व पर्स पर अग्रेजी में सीवाई डब्लू लिखा हुआ है, उक्त पर्स के अन्दर की जेब से रिश्वति राशि 3000 रूपयें बरामद हुई है, उक्त अन्दर की जेब में रंग काला होनें के कारण पर्स के अन्दर की जेब पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाया जाना संभव नही होनें के कारण उक्त पर्स कों एक सफेद कपडे की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर कर मार्क–पी अंकित किया गया।

कार्यवाही के दौरान ही समय करीब 02.30 पी.एम. पर एसीबी चौकी जालोर से श्री सुखाराम हैड कानि. नम्बर 96 मय श्री विक्रम सिंह कानि. नम्बर 556, श्री गुलाबसिंह कानि. नम्बर 140 मय सरकारी वाहन के प्रकरण के सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालोर को दस्तायाब कर लेकर हाजिर आये। जिसकों मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उनका परिचय पूछने पर श्री चन्द्रकान्त रामावत पुत्र श्री बद्री प्रसाद रामावत उम्र 44 जाति वैष्णव निवासी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास रामदेव कॉलोनी जालौर हाल सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी जालौर का होना बताया। मेरे पास अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जालोर का अतिरिक्त कार्यभार है। परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा से श्रीमती खुशबू गहलोत द्वारा 3000/–रूपये लेने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि पंखी कुमारी छात्रा के भाई ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर श्रीमती खुशबू गहलोत एवं श्रीमती बृजेश मीणा के नाम शिकायत की। उक्त शिकायत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालौर को प्रेषित की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालौर द्वारा उक्त शिकायत की जांच हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी को दी। जिस पर मेरे द्वारा उक्त जांच में चेतावनी देकर जांच का निस्तारण किया गया। मेरे कार्यालय के पत्रांक 351 दिनांक 27.08.2022 के कार्यालय आदेश द्वारा श्रीमती खुशबू गहलोत व श्रीमती बृजेश मीणा को आरोप पत्र व व्यक्तिगत सुनवाई के

बाद मेरे द्वारा चेतावनी देकर प्रकरण को निस्तारण किया गया। साथ ही श्रीमती बृजेश मीना अध्यापिका के विरूद्व सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नही है तथा पूर्व में कर्मचारी को दण्डित नही किया गया है, इस तरह का सेवा सन्तुष्ठि प्रमाण पत्र भी मेरे द्वारा कमांक 304 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा भी जारी किया गया है। उक्त सेवा सन्तुष्ठि प्रमाण पत्र व आरोप विवरण पत्र के निस्तारण बाबत प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी किये गये है। साथ ही आज आरोपी से 3000 रूपयें रिश्वत राशि प्राप्त करनें के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक प्रति उत्तर नही दिया गया। इसके बाद एसीबी जालोर से आये हुए ब्यूरों जाब्ता को रूखस्त किया गयां।

आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर व सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समवन्वयक जालोर द्वारा परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा के विरूद्व आरोप पत्र विवरण व सेवा सन्तुष्ठि प्रमाण पत्र जारी करनें की एवज में दोनों आरोपीगण द्वारा मिलीभगत कर 3000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर आज आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत द्वारा 3000 रूपयें प्राप्त करना व रिश्वत राशि प्राप्त करनें के बाद अपनें मोबाईल नम्बर 7976762681 से सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के मोबाईल नम्बर 9461632674 पर वार्ता कर रिवश्त राशि प्राप्त करने की वार्ता करना व सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत द्वारा फोन पर अपनी सहमति देना अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है ,

सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से लिरवाई गई तों उनके पास एक वीवों कम्पनी का मोबाईल मिला। उक्त मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 866088059771350 2. 866088059771343 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9461632674 व दूसरी बीएसएनएल सिम नम्बर 9079430042 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी प्लॉट नम्बर बी–16, निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर एवं सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत पुत्र श्री बद्री प्रसाद रामावत उम्र 44 जाति वैष्णव निवासी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास रामदेव कॉलोनी जालौर हाल सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी जालौर .का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी प्लॉट नम्बर बी–16, निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर एवं श्री चन्द्रकान्त रामावत पुत्र श्री बद्रीप्रसाद रामावत उम्र 44 जाति वैष्णव निवासी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास रामदेव कॉलोनी जालौर हाल सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी जालौर .को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी।

वक्त 05.00 पी.एम. पर दोनों रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष परिवादीया की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी हस्तकलमी से मूर्तिब कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रंनिग नोट किया गया।

समय 05.30 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी प्लॉट नम्बर बी–16, शिव नगर 3rd निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

समय 05.45 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत पुत्र श्री बद्री प्रसाद रामावत उम्र 44 जाति वैष्णव निवासी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास रामदेव कॉलोनी जालौर हाल सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी जालौर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)

अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

समय 06.03 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व श्री चन्द्रकान्त रामावत का सेवा विवरण चाहनें व परिवादीया के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहनें हेतु अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालोर व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला जालौर को जरिये ई–मेल तहरीर प्रेषित की गई साथ ही श्री मेघराज हैड कानि. को निर्देशित किया गया कि आप परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा व उनके पति श्री लोकेश मीणा के निजी वाहन से मय कानि. श्री भंवरलाल नम्बर 501 एवं छैलाराम कानि. नम्बर 46 के साथ जालौर पहुंचकर रिकॉर्ड प्राप्त कर जोधपुर पहुचंनें के लिए निर्देशित कर उम्मेदाबाद सें जालौर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 06.15 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा मय ब्यूरो जाब्ता, श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89, श्रीमती सीता महिला कानि. नम्बर 172, श्री प्रकाश कानि. 265, मय गिरफ्तार शुदा आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व श्री चन्द्रकान्त रामावत मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री एवं आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 3000 रूपयें, रिश्वति राशि बरामद स्थान पर्स की अन्दर की जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल पी.1 व पी.2 ,रिश्वति राशि बरामद स्थान पर्स का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी., आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत का वीवों कम्पनी का मोबाईल फोन मय एक सिम के व आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत का वीवों कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर सें एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना हुआ।

वक्त 09.40 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त का वक्त 06.15 पी.एम. पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय उम्मेदाबाद जिला जालोर से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचे तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 07.09.2022 को समय 08 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया।

वक्त 09.45 पी.एम. पर आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व चन्द्रकान्त रामावत का मेडिकल चैकअप एवं कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक पृथक तहरीर जारी कर श्री अयुबखान उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री मधुमति हैड कानि. नम्बर 89, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री अर्जुनसिंह कानि. नम्बर 319, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मय आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व चन्द्रकान्त रामावत के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री खमाराम कानि. को रवाना सेटेलाईट हास्पिटल पावटा जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 10.45 पी.एम.पर आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व श्री चन्द्रकान्त रामावत का मेडिकल चैकअप एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकर श्री अयुबखान उप निरीक्षक मय हमराहीयान के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर पर श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319 व श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 कों आरोपीया व आरोपी की निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया गया।

वक्त 10.50 पी.एम. पर श्री मेघराज हैड कानि.नम्बर 63 एवं श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा व उनके पति श्री लोकेश मीणा परिवादिया के निजी वाहन से उपस्थित आये। श्री मेघराज हैड कानि.नम्बर 63 नें मन् निरीक्षक पुलिस को दोनों आरोपीगण का सेवा विवरण व परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मन् निरीक्षक पुलिस को सुपर्द किये। रिकॉर्ड का अवलोकन कर शामिल रंनिग नोट किये गये। परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा को कल दिनांक 07.09.2022 को समय 07.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आनें की हिदायत देकर अपनें पति श्री लोकेश मीणा के साथ निजी वाहन सें कार्यालय से रूखस्त किया गयां

वक्त 10.55 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 3000 रूपयें, रिश्वति राशि बरामद स्थान पर्स की अन्दर की जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल पी.1 व पी. 2 ,रिश्वति राशि बरामद स्थान पर्स का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी., आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत का वीवों

कम्पनी का मोबाईल फोन मय एक सिम के व आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत का वीवों कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के आरोपी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये।

दिनांक 07.09.2022 वक्त 7.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें है।

वक्त 08.00 ए.एम. पर परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्रीमती बृजेश मीणा एवं आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर एवं श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालौर के मध्य दिनांक 02.09.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपीया श्रीमती खुशबूगहलोत, आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व श्री चन्द्रकान्त रामावत की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। तीन डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 11.45 ए.एम. पर परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा एवं आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर के मध्य दिनांक 06.09.2022 कों रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा व आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद जिला जालौर के मध्य दिनांक 06.09.2022 को रूबरू हुई वार्ता, आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालौर के मध्य दिनांक 06.09.2022 को रिश्वत राशि लेन देन के बाद मोबाईल पर हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ताओं कों दोनो गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि लेन देन श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपीया श्रीमती खुशबूगहलोत, आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व श्री चन्द्रकान्त रामावत की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। तीन डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 2.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह श्री अजय गहलोत व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा की आवश्यकता नही होनें के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही के बाद सेवा विवरण प्राप्त करनें पर सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत के पिता जी का नाम

बद्रीप्रसाद के स्थान पर ब्रदी दास होना पाया गया है। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में चन्द्रकान्त रामावत के पिता जी का नाम बद्रीदास अंकित किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर द्वारा सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालोर के लिए परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा अध्यापिका के विरूद्व जांच बन्द करनें व सेवा सन्तुष्टि प्रमाण पत्र जारी करवानें की एवज में दिनांक 02.09.2022 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा से 3000/--रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, दौरानें मांग सत्यापन दिनांक 02.09.2022 कों सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत द्वारा भी परिवादीया के पैण्डिग कार्य आरोप पत्र निस्तारण आदेश व सेवा सन्तुष्टि प्रमाण पत्र कों जारी कर देना, दिनांक 06.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादीया श्रीमती बृजेश मीणा से आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका द्वारा रिश्वत राशि 3000 रूपयें प्राप्त कर अपनें पर्स में रखना, जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वत राशि 3000 रूपयें आरोपीया के पर्स की अन्दर की जेब सें बरामद होना, आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत द्वारा परिवादिया श्रीमती बृजेश मीणा से रिश्वत राशि प्राप्त करनें के बाद ब्यूरों टीम के सामने स्वेच्छाया से अपनें मोबाईल नम्बर 7976762681 सें आरोपी चन्द्रकान्त रामावत के मोबाईल नम्बर 9461632674 पर कॉल करनें व आरोपीया के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना जिसमें सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत द्वारा रिश्वत राशि 3000 रूपयें के सम्बन्ध में अपनी सहमति देना, आरोपीया खुशबू गहलोत के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि प्राप्ति स्थान आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत के पर्स की अन्दर की जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना, उक्त दोनों आरोपीया श्रीमती खुशबू गहलोत व सह आरोपी श्री चन्द्रकान्त रामावत का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्रीमती खुशबू गहलोत पुत्री श्री श्यामलाल गहलोत पत्नि श्री छविलाल सैनी जाति माली उम्र 38 साल निवासी श्याम कुटीर चामू हाउस के पीछे कृषि मण्डी जोधपुर हाल प्लॉट नम्बर बी--16, शिवनगर 3rd निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर हाल तृतीय श्रेणी अध्यापिका कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका, राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालौर एवं श्री चन्द्रकान्त रामावत पुत्र श्री बद्री दास रामावत जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी पोस्ट नारलाई वाया देसूरी जिला पाली हाल सरकारी उच्च प्राथमिक विधालय के पास, रामदेव कॉलोनी जालोर हाल सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी जालोर अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जिला जालौर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मनीष वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस
भष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्रीमती खुशबू गहलोत, तृतीय श्रेणी अध्यापिका, कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका, राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय, उम्मेदाबाद, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर एवं 2. श्री चन्द्रकान्त रामावत, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 349/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.9.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3033-38 दिनांक 7.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जालोर।
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।